

केस का सं० ओर तारिख	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख के साथ
1	2	3

2

Control of Crime Act, 2002 (Adopted) on new grounds.

Communicate the order to the Senior Superintendent of Police, Ranchi for information and necessary action.



Deputy Commissioner
Ranchi

Dictated and Corrected by



Deputy Commissioner
Ranchi

*Order
communicated
to S.S.P Ranchi
for information
and necessary
action vide
Memo no 1720/10
dt 11.12.20
by
11.12.20*

रांची जिलाहजारालय
पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण आखा

09 MAY 2018

प्रशाखा का नाम.....
प्रेषक.....

पत्रांक-780 / डी0सी0बी0
वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, रांची।

रांची, दिनांक-08/05/18

37-A
09/05/18

वरीय पुलिस अधीक्षक,
रांची।

सेवा में,

उपायुक्त सह-जिला दंडाधिकारी,
रांची।

प्रसंग:-

विषय:-

थाना प्रभारी माण्डर, रांची के कार्यालय का ज्ञापांक-1060/18 दिनांक-01.05.2018
कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी रूस्तम अंसारी, पे0-अब्दुल गफ्फार अंसारी,
सा0-कुन्दी थाना-ईटकी जिला-रांची के विरुद्ध झारखण्ड अपराध अधिनियम-
2002 अंगीकृत की धारा-3(1)(a),3(1)(b)(1) के तहत थाना में उपस्थिति दर्ज
करवाने हेतु आदेश पारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि थाना प्रभारी माण्डर, रांची के कार्यालय का ज्ञापांक-1060/18, दिनांक-01.05.2018 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी रूस्तम अंसारी, पे0-अब्दुल गफ्फार अंसारी, सा0-कुन्दी थाना-ईटकी जिला-रांची जो वर्तमान में जेल से बाहर है। ये नीचे लिखे पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित है:-

1. मांडर थाना कांड सं0-10/16 दिनांक-01.02.2016 धारा-25(1-बी)ए/27 आर्म्स एक्ट।
2. मांडर थाना सनहा सं0-05/18 दिनांक-19.04.2018
3. मांडर थाना सनहा सं0-07/18 दिनांक-19.04.2018
4. मांडर थाना सनहा सं0-09./18 दिनांक-19.04.2018

उल्लेखनीय है कि ये रूस्तम अंसारी, पे0-अब्दुल गफ्फार अंसारी, सा0-कुन्दी थाना-ईटकी जिला-रांची एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। इनके जेल से छुटने के बाद भी इनके अपराधिक किया-कलाप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिससे आस पास के क्षेत्रों में शांति-व्यवस्था पुरी तरह से प्रभावित रह रही है। इनका मुख्य पेशा अवैध हथियार रखना एवं अन्य अपराध करना है। ये वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर मुक्त है। इनके अपराधिक इतिहास के कारण जनता में भय व्याप्त है कि ये फिर से कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे दें। जिससे कहीं लोक-शांति की समस्या उत्पन्न न हो जाये। आसूचना संकलन के कम में भी सूचना प्राप्त हुई है कि इनके घरों में भी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का आना-जाना अक्सर लगा रहता है, जिससे आम जनता के बीच भय का माहौल बना हुआ है। इस प्रकार आम-जनों के बीच इनका भय कम करने एवं लोक-शांति बनाये रखने के लिए इन पर प्रतिदिन निगरानी

1251
14-5-18
01
11/5/18